

प्रेस नोट - दिनांक 08-03-2023

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा राहगीरो को नुकसान पहुंचाने वाला किलो प्रतिबंधित 23 चाइनीज मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में राहगीरो को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07-03-2023 को प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा अभियुक्त शहदाईरजा उर्फ गुड्डू पुत्र रिजवान हुसैन निवासी मौ0 मण्डी समिति रोड सराय मर्दान अली थाना मण्डी सहारनपुर को 23 किलो प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 23 किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 71/2023 धारा 188/336 भादवि 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण:

23 किलो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 451 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2221 लोकेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना तीतरों, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर चोर
गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बरामद**

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरों के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.03.2023 की रात्रि में थाना- तीतरों की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. टीटू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम नन्हैडा गुर्जर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. विक्रान्त मलिक पुत्र सहदेव मलिक निवासी मौ0 पट्टी सुधान ग्राम लाँक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली 3. हरेन्द्र पुत्र दयानन्द निवासी मौ0 पट्टी भीतरवाड ग्राम लाँक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को 01 अदद हैरो, 01 अदद कल्टीवेटर, 01 अदद डोलर, 01 अदद लेजर व 01 INTRA V 30 CX (टाटा मार्का गाडी छोटा हाथी) व 01 अदद तमंचा व 2 कारतूस 315 बोर, व दूसरे पुलिन्दे में 02 अदद चाकू सहित थाना क्षेत्र तीतरों से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 22/2023 धारा 414 भा.द.वि. व 3/25 व 4/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. टीटू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम नन्हैडा गुर्जर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. विक्रान्त मलिक पुत्र सहदेव मलिक निवासी मौ0 पट्टी सुधान ग्राम लाँक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली
3. हरेन्द्र पुत्र दयानन्द निवासी मौ0 पट्टी भीतरवाड ग्राम लाँक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली

बरामदगी का विवरण

1. 01 हैरो,
2. 01 कल्टीवेटर
3. 01 डॉलर
4. 01 लेजर
5. INTRA-V-30-CX (टाटा मार्का गाडी छोटा हाथी)
6. 01 तमंचा मय 2 कारतूस 315 बोर,
7. 02 चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- (1) उ0नि0 अशोक कुमार यादव थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (2) है0का0 883 अंकित शर्मा थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (3) का0 2254 मुनीश कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (4) का0 2483 मोहित कुमार थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर
- (5) का0 2494 देवू गौतम थाना – तीतरों, जनपद – सहारनपुर